(2) वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण
(Presentation of Financial Statements)

चिट्ठा बनाने के लिए दो विधियाँ प्रचलित हैं—(1) तरलता के अनुसार, (2) स्थायित्व के अनुसार परन्तु एकाकी व्यापार तथा साझेदारी में प्रथम विधि ही अधिकतर प्रयोग में लायी जाती है :

(1) **प्रथम विधि : तरलता के अनुसार**—पहले तरल सम्पत्तियाँ लिखी जाती हैं, जैसे, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल, देनदार आदि; फिर स्थायी सम्पत्तियाँ लिखी जाती हैं, जैसे—भूमि एवं भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि। दायित्वों में से अल्प अवधि वाले दायित्वों को पहले, दीर्घकालीन दायित्वों को बाद में और सबसे अन्त में पूँजी को लिखा जाता है।

(2) **द्वितीय विधि : स्थायित्व के अनुसार**—इस विधि के अनुसार स्थायी सम्पत्तियाँ पहले और तरल सम्पत्तियाँ बाद में लिखी जाती हैं। दायित्व पक्ष में पूँजी और दीर्घकालीन दायित्व पहले और अल्पकालीन दायित्व बाद में लिखे जाते हैं।

प्रत्येक कम्पनी के संचालक मण्डल को वार्षिक साधारण सभा में निम्न प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे :

(अ) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अन्त में बनाया गया कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा।

(ब) उक्त अवधि का कम्पनी का लाभ-हानि विवरण।

प्रत्येक कम्पनी के अन्तिम खातों को कम्पनी की स्थिति का सच्चा एवं सही चित्र (True and fair view) प्रस्तुत करना चाहिए। **धारा** 129 के अनुसार, कम्पनी के लाभ-हानि का विवरण और स्थिति-विवरण को लेखा मानकों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

1. कम्पनी के स्थिति-विवरण/चिट्ठा का प्रारूप (Format of Company's Balance Sheet)

अब कम्पनी के वित्तीय विवरण अथवा अन्तिम खाते कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग-1 तथा 2 के अनुसार तैयार किये जायेंगे जो उदग्र या लम्बवत या शीर्ष रूप में तैयार किये जायेंगे।

कम्पनियों में वित्तीय विवरणों का प्रदर्शन

कम्पनी अधिनियम में नये संशोधन के अनुसार अब कम्पनियों को अपना आर्थिक चिट्ठा नये संशोधित शीर्ष या लम्बवत् प्रारूप के अनुसार तैयार करना होगा :

कम्पनी के चिट्ठे का संशोधित शीर्ष प्रारूप

(Revised Vertical Format of Company's Balance Sheet)

Schedule III/Revised Schedule VI, Part I

Name of the Company .....

Balance Sheet (*as at .....*)

Particulars	*Note No.*	*Figures as at the end of the Current Financial Year*	*Figures as at the end of the Previous Year*
I. *EQUITY AND LIABILITIES* :		₹	₹
(1) *Shareholders' Funds* :			
(a) Share Capital		.....	.....
(b) Reserve and Surplus		.....	.....
(c) Money received against Share Warrants		.....	.....
(2) *Share Application Money pending Allotment*			
(3) *Non-current Liabilities* :			
(a) Long-term Borrowings		.....	.....
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)			
(c) Other Long-term Liabilities		.....	.....
(d) Long-term Provisions		.....	.....
(4) *Current Liabilities* :			
(a) Short-term Borrowings		.....	.....
(b) Trade Payables		.....	.....
(c) Other Current Liabilities		.....	.....
(d) Short-term Provisions		.....	.....
Total		.....	.....
II. *ASSETS* :			
(1) *Non-current Assets* :			
(a) Fixed Assets :			
(i) Tangible Assets		.....	.....
(ii) Intangible Assets		.....	.....
(iii) Capital Work-in-progress		.....	.....
(iv) Intangible Assets under Development		.....	.....
(b) Non-current Investments		.....	.....
(c) Deferred Tax Assets (Net)			
(d) Long-term Loans and Advances		.....	.....
(e) Other Non-current Assets		.....	.....
(2) *Current Assets* :			
(a) Current Investments		.....	.....
(b) Trade Receivables		.....	.....
(c) Inventories		.....	.....
(d) Cash and Cash Equivalents		.....	.....
(e) Short-term Loans and Advances		.....	.....
(f) Other Current Assets		.....	.....
Total		.....	.....

Note : Debit balance of statement of profit and loss shall be shown as a negative figure under the head 'Reserves & Surplus'.

❑ अनुबन्धों के पालन में बिना नकदी प्राप्त किये पूर्णतया चुकता अंशों के रूप में आबंटित किये गये अंशों की संख्या एवं प्रकार।

❑ बोनस अंशों के रूप में पूर्णतया चुकता अंशों के रूप में आबंटित किये गये अंशों की संख्या एवं प्रकार।

❑ वापस क्रय किये गये अंशों (Buy-back of shares) की संख्या एवं प्रकार।

(c) अदत्त याचनाएँ (Calls Unpaid), संचालकों एवं अधिकारियों द्वारा न चुकाई गई याचनाओं की राशि को प्रदर्शित करते हुए अदत्त याचनाओं को Subscribed Capital में से घटाया जायेगा।

(d) हरण किये गये अंश (Forfeited Shares)।

(B) **संचय एवं आधिक्य** (Reserves and Surplus)—

(i) **संचय एवं आधिक्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :**

(a) पूँजी संचय (Capital Reserves);

(b) पूँजी शोधन संचय (Capital Redemption Reserve);

(c) प्रतिभूति प्रीमियम संचय (Securities Premium Reserve) (इसमें से विविध व्ययों, जैसे—Preliminary Expenses को घटा दिया जाता है);

(d) ऋणपत्र शोधन संचय (Debenture Redemption Reserve);

(e) पुनर्मूल्यांकन संचय (Revaluation Reserve);

(f) अंश विकल्प अदत्त खाता (Share Options Outstanding Account);

(g) अन्य संचय (Other Reserves) (प्रत्येक संचय की प्रकृति, उद्देश्य एवं राशि स्पष्ट करते हुए);

(h) आधिक्य (Surplus) अर्थात् लाभांश (Dividend), बोनस अंश एवं संचयों में हस्तान्तरण के पश्चात् लाभ-हानि विवरण का शेष (Balance of Statement of Profit & Loss)।

संशोधित अनुसूची VI अथवा अनुसूची III के अनुसार Profit & Loss Appropriation Account नहीं बनाया जायेगा। इसका अर्थ है कि समायोजनों (Appropriations) को Notes में दिखाया जायेगा।

(ii) ऐसा संचय (Reserve) जिसे विनियोग कर दिया गया हो, कोष या निधि (Fund) कहलायेगा।

(iii) Statement of Profit & Loss के **डेबिट शेष को** 'Surplus' शीर्षक के अन्तर्गत ऋणात्मक (Negative) संख्या के रुप में दिखाया जायेगा। इसी प्रकार, 'Surplus' के Negative शेष को Reserve and Surplus में समायोजित करने के बाद यदि Reserve and Surplus का Negative शेष बचता है तो भी इसे इसी शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा।

(C) **शेयर वारण्ट के बदले प्राप्त नकद** (Money received against Share Warrants)

(2) **अंश आवेदन राशि, जब तक आबंटन न हो** (Share Application Money pending Allotment)

(3) **गैर-चालू दायित्व** (Non-Current Liabilities)

(A) **दीर्घकालीन ऋण** (Long-term Borrowings)—इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा :

(a) बॉण्ड/ऋणपत्र (Bonds/Debentures)

(b) अवधि ऋण (Term Loans)

- बैंकों से
- अन्य पक्षकारों से

(B) (i) स्थगित कर दायित्व (Deferred Tax Liabilities)

(ii) जमा (Deposits) जो 12 माह पश्चात् देय है। Borrowings को पुन: सुरक्षित (Secured) एवं असुरक्षित (Unsecured) में वर्गीकृत किया जायेगा।

❑ **स्थगित कर** (Deferred Taxes)—**लेखांकन आय और कर-योग्य आय पर कर के अन्तर को स्थगित कर** (Deferred Tax) **कहा जाता है।** कर-योग्य आय (Taxable Income) कर कानूनों पर आधारित होती है जबकि लेखांकन आय (Accounting Income) संस्था में प्रचलित लेखांकन प्रणालियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेखांकन आय संस्था के लाभ-हानि के विवरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वर्तमान में प्राय: कर आयोजन (Provision for Tax) की गणना कर-योग्य आय के आधार पर की जाती है। परन्तु इसकी गणना लेखांकन आय के आधार पर भी की जा सकती है।

❑ **स्थगित कर दायित्व** (Deferred Tax Liabilities)—स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय कर-योग्य आय से अधिक होती है।

2. स्थिति-विवरण/चिट्ठा बनाने के लिए सामान्य निर्देश (General Instructions for Preparation of Balance Sheet)

1. **चालू सम्पत्ति** (Current Assets)—किसी सम्पत्ति को चालू सम्पत्ति (Current Assets) तभी माना जायेगा जब वह निम्न में से किसी एक कसौटी को पूरा करती हो :

(i) इसके कम्पनी के सामान्य संचालन चक्र (Normal Operating Cycle) में वसूल होने की सम्भावना है अथवा विक्रय करने (Sale) या उपभोग (Consume) करने के लिए है।

(ii) यह मुख्यत: व्यापार करने के लिए रखी गई है।

(iii) इसके विवरण तैयार होने की तिथि के 12 माह के अन्दर वसूल होने की सम्भावना है।

शेष सभी सम्पत्तियों को **गैर-चालू सम्पत्ति** (Non-current Assets) माना जायेगा।

❐ **संचालन चक्र** (Operating Cycle) **का स्पष्टीकरण**—संचालन चक्र वह समयावधि है जो किसी सम्पत्ति के क्रय करने और इसके नकद अथवा नकद मूल्यों में परिवर्तन होने के बीच की अवधि है। जब संचालन चक्र की अवधि को मापा नहीं जा सकता है तो यह अवधि 12 माह की मान ली जाती है।

2. **चालू दायित्व** (Current Liabilities)—किसी दायित्व को चालू दायित्व (Current Liabilities) तभी माना जायेगा जब वह निम्नलिखित में से किसी एक कसौटी को पूरा करता हो :

(i) इसके कम्पनी के सामान्य संचालन चक्र (Normal Operating Cycle) की अवधि में भुगतान की सम्भावना है।

(ii) यह मुख्यत: व्यापार करने के उद्देश्य से रखा गया है।

(iii) इसके विवरण तैयार करने की तिथि के 12 माह के अन्दर भुगतान किये जाने की सम्भावना है।

शेष सभी दायित्वों को **गैर-चालू दायित्व** (Non-current Liabilities) माना जायेगा।

3. **व्यापारिक प्राप्य** (Trade Receivables)—एक प्राप्य को व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivables) के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, यदि यह व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अन्तर्गत **माल के विक्रय** अथवा **सेवाएँ प्रदान करने** (Services rendered) के सम्बन्ध में प्राप्य राशि से सम्बन्धित है। व्यापारिक प्राप्यों में विविध देनदार (Sundry Debtors) एवं प्राप्य बिलों (Bills Receivables) को शामिल किया जाता है। इस प्रकार, Trade Receivables = Sundry Debtors + B/R.

4. **व्यापारिक देयता** (Trade Payable)—एक देयता को व्यापारिक देयता (Trade Payable) के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, यदि यह व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अन्तर्गत **माल के क्रय** अथवा सेवाएँ प्राप्त करने (Services Received) के सम्बन्ध में देय राशि से सम्बन्धित है। व्यापारिक देयताओं में विविध लेनदार (Sundry Creditors) तथा देय बिलों (Bills Payable) को शामिल किया जाता है। इस प्रकार, Trade Payables = Sundry Creditors + B/P.

5. **लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष को सम्पत्ति पक्ष में न लिखना**—संशोधित अनुसूची VI या नवीन अनुसूची III में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष को अब सम्पत्ति पक्ष में नहीं लिखा जायेगा। इसे अब **संचय तथा आधिक्य** (Reserves and Surplus) **शीर्षक के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष** (Negative Balance) **के रूप में लिखा जायेगा।** इस प्रकार 'संचय एवं अधिशेष' शीर्षक की धनात्मक राशियों में से इसे घटा दिया जायेगा।

6. **विविध व्यय** (Miscellaneous Expenditure) **को चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में न लिखना**—संशोधित अनुसूची VI या अनुसूची IV में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि विविध व्ययों, जैसे—अंश निर्गमन व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती, प्रारम्भिक व्यय, अभिगोपन कमीशन आदि को चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में नहीं लिखा जाता है बल्कि इन्हें कम्पनी के चिट्ठे में Equity and Liabilities पक्ष में 'Securities Premium Reserve' में से घटा कर दिखाया जायेगा। यदि Securities Premium Reserve न हो तो इन्हें 'Reserves and Surplus' शीर्षक के अन्तर्गत ऋणात्मक मद (Negative item) के रूप में दिखाया जायेगा।

7. स्थिति-विवरण/चिट्ठा में आँकड़ों को '000 अथवा '00 के सान्निकट या यथार्थ मान तक लिखा जाता है।

I. समता एवं दायित्वों का स्पष्टीकरण
(Explanation of Equity and Liabilities)

(1) **अंशधारी कोष** (Shareholder's Funds)

(A) **अंश पूँजी** (Share Capital)—इसके अन्तर्गत समता अंश पूँजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूँजी के चुकता मूल्य के योग को लिखा जाता है।

(a) प्रति अंश का सम-मूल्य (Par value);

(b) स्थिति-विवरण तैयार करने की तिथि के तुरन्त पहले के पाँच वर्षों की अवधि में

REDMI NOTE 7S
AI DUAL CAMERA

(C) **अन्य दीर्घकालीन ऋण** (Other Long-term Liabilities)—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) व्यापारिक देयताएँ (Trade Payables) (यदि यह 12 माह से अधिक अवधि के लिए देय रहती हैं)

(b) अन्य (Others)

(D) **दीर्घकालीन आयोजन** (Long-term Provisions)—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) कर्मचारी हित आयोजन (Provision for Employee Benefits)। कोई भी आयोजन जो 12 माह से अधिक अवधि के बाद देय होगा उसे दीर्घकालीन आयोजन (Long-term Provision) के अन्तर्गत लिखा जायेगा और 12 माह की अवधि के अन्तर्गत देय होने वाले आयोजन को अल्पकालीन आयोजन (Short-term Provision) के अन्तर्गत लिखा जायेगा।

(b) अन्य (Others)

(4) **चालू दायित्व** (Current Liabilities) (**12 माह या इससे पूर्व देय वाले दायित्व**)

इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा :

(A) **अल्पकालीन ऋण** (Short-term Borrowings)—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) माँग पर देय ऋण (Loans Repayable on Demand)

- बैंकों से
- अन्य पक्षकारों से

(b) जमा (Deposits)

(c) अन्य ऋण एवं अग्रिम (Other Loans and Advances)

(B) **व्यापारिक देयताएँ** (Trade Payable) (*i.e.*, Sundry Creditors and Bills Payable) (यदि यह 12 माह या इससे कम अवधि के लिए देय रहती हैं)

(C) **अन्य चालू दायित्व** (Other Current Liabilities)—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) दीर्घकालीन ऋण जो वर्तमान में देय हैं (Current Maturities of Long-term Debt)

(b) ऋणों पर अदत्त ब्याज, परन्तु देय नहीं

(c) ऋणों पर अदत्त एवं देय ब्याज

(d) अग्रिम प्राप्त आय (Income received in advance)

(e) न चुकाया गया लाभांश (Unpaid dividends)

(f) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि जो वापस करनी है और इस पर देय ब्याज

(g) जमा राशियाँ (Deposits) जो भुगतान के लिए देय हो गई हैं परन्तु चुकाई नहीं गई है और इन पर देय ब्याज

(h) ऋणपत्र (Debentures) जो भुगतान के लिए देय हो गये हैं परन्तु चुकाये नहीं गये हैं और इन पर देय ब्याज

(i) अन्य देय राशियाँ (Such as Outstanding Expenses, Calls-in-advance, Unclaimed Dividends etc.)

(D) **अल्पकालीन आयोजन** (Short-term Provisions)—इन्हें निम्न पकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) कर्मचारी कल्याण आयोजन (Provision for employee benefits)

(b) अन्य (जैसे कि Provision for Tax, Proposed Dividend etc.)

ध्यान दें : दायित्व, संचय एवं आयोजन

दायित्व (Liability) तथा **आयोजन** (Provision) में अन्तर होता है। यदि कोई राशि भविष्य में चुकानी है और इसकी राशि निश्चित है तो इसे दायित्व कहते हैं। यदि दायित्व की राशि या सम्पत्ति के मूल्य में कमी होने के कारण हानि की राशि निश्चित नहीं है तो उसे आयोजन कहेंगे, जैसे कि करों के लिए आयोजन, ह्रास के लिए आयोजन आदि।

संचय (Reserve) तथा **आयोजन** (Provision) में भी अन्तर होता है। संचय (Reserve) का अर्थ है संचित लाभ और इसे कम्पनी की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने और किसी अज्ञात (Unknown) दायित्व और हानियों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है।

आयोजन (Provision) का निर्माण ऐसे ज्ञात (Known) दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं है अर्थात् जिसकी राशि का अनुमान पर्याप्त शुद्धता के साथ न लगाया जा सके। आयोजन किसी ज्ञात हानि की पूर्ति के लिए भी बनाया जाता है, जैसे ह्रास के लिए आयोजन।

REDMI NOTE 7S AI DUAL CAMERA

II. सम्पत्तियों का स्पष्टीकरण
(Explanation of Assets)

(1) **गैर-चालू सम्पत्तियाँ** (Non-current Assets)

(A) **स्थायी सम्पत्तियाँ** (Fixed Assets) :

(i) **मूर्त सम्पत्तियाँ** (Tangible Assets)—मूर्त सम्पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा :

(a) भूमि (Land)
(b) भवन (Buildings)
(c) संयन्त्र एवं उपकरण (Plant and Equipment)
(d) फर्नीचर एवं साज-सज्जा (Furniture and Fixtures)
(e) वाहन (Vehicles)
(f) कार्यालय उपकरण (Office equipment)
(g) अन्य (Others)

(ii) **अमूर्त सम्पत्तियाँ** (Intangible Assets)—अमूर्त सम्पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा :

(a) ख्याति (Goodwill)
(b) ब्राण्ड एवं व्यापारिक चिन्ह (Brands/Trademarks)
(c) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (Computer Software)
(d) मास्टहैड एवं प्रकाशन अधिकार (Mastheads and Publishing Titles)
(मास्टहैड से आशय किसी समाचार-पत्र या पत्रिका के नाम से है जो इसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर छपता है)
(e) खनिज अधिकार (Mining Rights)
(f) कॉपीराइट, एकस्व (Patents) एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights), सेवाएँ एवं संचालन अधिकार (Services and Operating Rights)
(g) नुस्खे (Recipes), फॉर्मूले, मॉडल, डिजाईन एवं मूल रुप (Prototypes)
(h) लाइसेन्स एवं फ्रैन्चाईज।

(iii) **पूँजीगत कार्य जो प्रगति पर हैं** (Capital Work-in-Progress)—पूँजीगत कार्य जो प्रगति पर हैं से आशय स्वयं निर्मित सम्पत्ति, संयन्त्र एवं उपकरण की लागत से है।

(B) **गैर-चालू विनियोग** (Non-current Investments) **(एक वर्ष से अधिक अवधि के विनियोग)** :

(i) **गैर चालू विनियोगों को व्यापारिक विनियोग** (Trade Investments) तथा अन्य विनियोगों में वर्गीकृत किया जायेगा तथा पुनः निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) विनियोग सम्पत्ति (Investment Property)—विनियोग सम्पत्ति से आशय उस भूमि तथा भवन से है जिसे मूल्य वृद्धि अथवा किराया अर्जित करने के उद्देश्य से रखा गया है न कि
(i) माल के उत्पादन या पूर्ति करने के लिए अथवा सेवाओं अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए अथवा
(ii) व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान विक्रय के लिए।
(b) समता प्रपत्रों में विनियोग (Investment in Equity Instruments)
(c) पूर्वाधिकार अंशों में विनियोग (Investments in Preference Shares)
(d) सरकारी अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में विनियोग (Investments in Government or Trust Securities)
(e) ऋणपत्रों अथवा बॉण्ड में विनियोग (Investments in Debentures or Bonds)
(f) म्यूच्यूअल फण्डों में विनियोग (Investments in Mutual Funds)
(g) साझेदारी फर्मों में विनियोग (Investments in Partnership Firms)
(h) अन्य गैर-चालू विनियोग (Other Non-current Investments) (Specify Nature)

(ii) लागत पर मूल्यांकित न किये गये विनियोगों को इनके मूल्यांकन के आधार सहित अलग से प्रदर्शित किया जायेगा।

(iii) निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जायेगा :

(a) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित विनियोग (Quoted Investments) एवं इनका बाजार मूल्य।
(b) स्टॉक एक्सचेंज पर न सूचित विनियोगों (Unquoted Investments) का मूल्य।
(c) विनियोगों के मूल्य में कमी के लिए आयोजन की राशि।

REDMI NOTE 7S

(C) **स्थगित कर सम्पत्तियाँ** (Deferred Tax Assets)—स्थगित कर सम्पत्ति उस समय उत्पन्न होती है जब लेखांकन आय कर-योग्य आय से कम होती है।

(D) **दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम** (Long-term Loans and Advances)—

(i) इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) पूँजीगत अग्रिम (Capital Advances)

(b) जमानती जमा (Security Deposits)

(c) अन्य ऋण एवं अग्रिम (Other Loans and Advances)

(ii) उपरोक्त का पुन: निम्न प्रकार उप-वर्गीकरण किया जायेगा :

(a) सुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Secured, considered good)

(b) असुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Unsecured, considered good)

(c) संदिग्ध (Doubtful)।

(iii) डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।

(iv) कम्पनी के संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय ऋण एवं अग्रिम।

(E) **अन्य गैर-चालू सम्पत्तियाँ** (Other Non-current Assets)—अन्य गैर-चालू सम्पत्तियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(i) दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य (Long-term Trade Receivables) (स्थगित उधार शर्तों पर व्यापारिक प्राप्यों सहित)

(ii) अन्य

❑ **दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्यों का वर्गीकरण**—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जायेगा :

(i) (a) सुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Secured, considered good)

(b) असुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Unsecured, considered good)

(c) संदिग्ध (Doubtful)

(ii) डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।

(iii) कम्पनी के संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय राशियाँ।

(2) **चालू सम्पत्तियाँ** (Current Assets)

(A) **चालू विनियोग** (Current Investments) (**1 वर्ष या उससे कम अवधि के विनियोग**)—

(i) **चालू विनियोगों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :**

(a) समता प्रपत्रों में विनियोग (Investments in Equity Instruments)

(b) पूर्वाधिकार अंशों में विनियोग (Investments in Preference Shares)

(c) सरकारी अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में विनियोग (Investments in Government or Trust Securities)

(d) ऋणपत्रों अथवा बॉण्ड में विनियोग (Investments in Debentures or Bonds)

(e) म्यूच्यूअल फण्डों में विनियोग (Investments in Mutual Funds)

(f) साझेदारी फर्मों में विनियोग (Investments in Partnership Firms)

(g) अन्य विनियोग (Other Investments)

(ii) **निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जायेगा :**

(a) प्रत्येक विनियोग के मूल्यांकन का आधार।

(b) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित विनियोग (Quoted Investments) एवं इनका बाजार मूल्य।

(c) गैर-सूचित (Unquoted) विनियोगों का मूल्य।

(d) विनियोगों के मूल्य में कमी के लिए किया गया आयोजन।

(B) **स्टॉक** (Inventories)

(i) **स्टॉक को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :**

(a) कच्चा माल (Raw Materials)

(b) अर्द्ध-निर्मित माल (Work-in-progress)

(c) निर्मित माल (Finished goods)

REDMI NOTE 7S

(d) व्यापारिक रहतिया (Stock-in-trade) (व्यापार के लिए क्रय किया गया स्टॉक)
(e) स्टोर्स तथा स्पेयर्स (Stores and Spares)
(f) छोटे औजार (Loose Tools)
(g) अन्य (Others)

(ii) मार्ग में माल (Goods-in-transit) को स्टॉक के अन्तर्गत अलग उप-शीर्षक में दिखाया जायेगा।
(iii) स्टॉक के मूल्यांकन की विधि को स्पष्ट किया जायेगा।

(C) **व्यापारिक प्राप्यताएँ** (Trade Receivables)—इनमें 1 वर्ष या इससे कम अवधि के विविध देनदार (Sundry Debtors) तथा प्राप्य बिलों (B/R) को शामिल किया जाता है।
(i) प्राप्य होने के लिए देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय व्यापारिक प्राप्यताओं को अलग से दिखाया जायेगा।
(ii) व्यापारिक प्राप्यताओं को निम्न प्रकार से उप-वर्गीकृत किया जायेगा :
(a) सुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Secured, considered good)
(b) असुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Unsecured, considered good)
(c) संदिग्ध (Doubtful)
(iii) डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।
(iv) कम्पनी के संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय राशियाँ।

(D) **नकद एवं नकद समतुल्य** (Cash and Cash Equivalents)—इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :
(a) बैंक में शेष (Cash at Bank)
(b) कम्पनी के पास चैक एवं ड्राफ्ट (Cheque and Draft)
(c) नकद शेष (Cash in hand)
(d) अन्य (Others)

रोकड़ तुल्य (Cash Equivalents) अत्यधिक तरल अल्पकालीन विनियोग हैं जिन्हें तुरन्त ही रोकड़ की निश्चित राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जबकि इसकी परिपक्वता अवधि कम हो जैसे कि इसके प्राप्त करने की तिथि से तीन माह या इससे कम।

(E) **अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम** (Short-term Loans and Advances)—
(i) इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :
(a) सम्बन्धित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances)
(b) अन्य (Others) (जैसे कि, अवधि जमा जिनकी शेष परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह से कम है इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये जायेंगे)
(ii) उपरोक्त को निम्न प्रकार से उप-वर्गीकृत किया जायेगा :
(a) सुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Secured, considered good)
(b) असुरक्षित, जो अच्छे माने गये हैं (Unsecured, considered good)
(c) संदिग्ध (Doubtful)
(iii) डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।
(iv) कम्पनी के संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय ऋण एवं अग्रिम की राशियाँ।

(F) **अन्य चालू सम्पत्तियाँ** (Other Current Assets)—इस शीर्षक में वह सभी चालू सम्पत्तियाँ लिखी जायेंगी जो उपरोक्त किसी भी शीर्षक में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses), निवेश पर उपार्जित ब्याज (Interest Accrued on Investments), आदि।

आकस्मिक दायित्वों (Contingent Liabilities) **तथा वचनबद्धताओं** (Commitments) **का स्पष्टीकरण**

1. **आकस्मिक अथवा सांयोगिक दायित्व** (Contingent Liabilities)—**ये वे दायित्व हैं जो वर्तमान में दायित्व नहीं हैं परन्तु इनका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर आधारित होता है अर्थात् दायित्व का होना निश्चित नहीं है।** इनकी राशि चिट्ठे के जोड़ में शामिल नहीं की जाती है, अत: इनकी राशि को चिट्ठे के नीचे Notes to Accounts में दिखाया जाता है। इनमें निम्नलिखित सांयोगिक दायित्वों को दिखाया जाता है :
(a) कम्पनी के विरुद्ध किये गये ऐसे दावे जिन्हें अभी तक कम्पनी ने देना स्वीकार नहीं किया है (Claims against the company not acknowledged as debts)।

(b) कम्पनी द्वारा यदि कोई गारण्टी ली हुई है तो उसके अन्तर्गत दायित्व।

(c) अन्य धनराशि जिसके लिए कम्पनी सम्भाव्य रुप से उत्तरदायी है।

2. **वचनबद्धताएँ** (Commitments)—**वचनबद्धताओं से आशय है, ''भविष्य में किन्हीं निश्चित दशाओं में किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कार्य को करने का अनुबन्ध।''**

वचनबद्धताओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :

(a) उन ठेकों की अनुमानित राशि जो अभी अपूर्ण हैं और जिनके लिए कोई आयोजन नहीं किया गया है।

(b) आंशिक चुकता अंशों पर न माँगी हुई याचनाओं की राशि (Uncalled Liability on Partly Paid Shares)—यदि कम्पनी ने किसी अन्य कम्पनी के 'आंशिक चुकता अंश' विनियोग के रुप में क्रय किये हुए हैं तो इन अंशों पर 'न माँगी गई राशि' कम्पनी के लिए वचनबद्धता है, क्योंकि यह राशि कभी भी चुकानी पड़ सकती है।

(c) **अन्य वचनबद्धताएँ** (Other Commitments)—जैसे कि संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांशों की बकाया राशि (Arrears of Dividends on Cumulative Preference Shares)।